

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज० जयपुर

(जी-३ राजमहल रेजीडेन्सीयल ऐरिया, सिविल लाइन फाटक, 22 गोदाम, जयपुर)

क्रमांक: प.४(ग)(२०)नियम/डीएलबी/१९/२८।७६

जयपुर, दिनांक: ३१/०५/२०१९

अधिसूचना

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 18) की धारा 43 स्पष्टित धारा 337 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के संबंध में जारी विभागीय अधिसूचना क्रमांक F.8(Ga)()Rules/DLB/19/23।७९ दिनांक 31.01.2019 को एतद्वारा दिनांक 01.06.2019 से लागू किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव
जयपुर, दिनांक: ३१/०५/२०१९

क्रमांक: प.४(ग)(२०)नियम/डीएलबी/१९/२८।७७-१८६३।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
02. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज०, जयपुर।
03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राज०, जयपुर।
04. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज०, जयपुर।
05. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज०, जयपुर।
06. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
07. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
08. समस्त अधिकारी, निदेशालय/उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
09. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगरीय निकाय, समस्त राजस्थान।
10. मुख्य नगरपालिक अधिकारी, नगरीय निकाय, समस्त राजस्थान।
11. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय लेखन एवं मुद्रणालय, राज०, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त अधिसूचना राज्य एवं जनहित में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः इसे राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में अविलम्ब प्रकाशित कराये जाने का श्रम कराये।
12. प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
13. सुरक्षित पत्रावली।


(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी